जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
75/20
A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 75/2016 अनवानी श्री लालचंद ओझा, रिटा. आर.ए.एस. निवासी II सी–266, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजि0 श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लालचंद ओझा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लालचंद ओझा ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2016 को सूचना प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया था किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.04.2016 से सूचना देने से मना कर दिया है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर बार बार पत्र लिखने उपरान्त भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर का आदेश सं0 1032 दिनांक 01.04.16 जो अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किया है, के अनुसार निम्न प्रकार से जबाब दिया गया है:–

क.सं.	बिन्दु	जबाब
1	आर्मस लाईसेन्स हेतु गृह विभाग जयपुर से प.1(22) गृह–9/1992 दिनांक 05.11.2004 परिपत्र श्रीगंगानगर न्यायिक शाखा में कब प्राप्त हुआ तथा इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	बिन्दु सं0 1 व में चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना से तात्पर्य विभाग में संधारित अभिलेख से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सर्जित करना सूचना के अधिकार के दायरे में नही आता। सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में विभाग में संधारित हो। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र 10 जुलाई 2009 के अनुसार सूचना उसी रूप में प्रदान की जा सकती है जिस रूप में प्राधिकरण के पास उपलब्ध, तथ्यों को खोजकर खोजे गये तथ्यों को संकलन कर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नही आता। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है जिसे उपलब्ध करवाने में लोक प्राधिकरण के संसाधनो का अनुपाति रूप से विचलन होता है। अतः धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। आपको किसी विशिष्ट अभिलेख की प्रति के आवश्यकता है तो पूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है अथवा निरीक्षण कर सकते है।
2	जनवरी 2004 से दिसम्बर 2005 तक किन किन सैनिको के लाईसेन्स रिन्यूवल किये गये मय अधिकारियों के नाम सूचि निम्न पते पर प्राप्त करावें।	

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन अनुसार अपीलार्थी द्वारा दो बिन्दुओ की सूचना चाही गई है। बिन्दु सं0 1 में गृह विभाग का परिपत्र दिनांक 05.11.2004 न्यायिक शाखा में कब प्राप्त हुआ एवं उसकी प्रतिलिपि व बिन्दु सं0 2 में जनवरी 2004 से दिसम्बर 2005 तक किन–2 सैनिको के लाईसेन्स रिन्यूवल किये गये, मय अधिकारियो के नाम की सूचि चाही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का**

ला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 01.04.2016 बिन्दु सं0 2 के बारे में सही है। किन्तु बिन्दु सं0 1 का जो उक्त उत्तर दिया गया है वह सही प्रतीत नही होता है क्योंकि बिन्दु सं0 1 में अपीलार्थी द्वारा गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 05.11.2004 को जिला कलक्टर की न्याय शाखा में कब प्राप्त हुआ और इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जावे। इस बारे में लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 01.04.16 का जो निर्णय लिया है इसमें अंकन नही किया है, उक्त परिपत्र उन्हे प्राप्त हुआ अथवा नही? और इसकी प्रतिलिपि दी जा सकती है अथवा नही? इस बिन्दु पर विधिवत निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए मामला लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्तानुसार बिन्दु सं0 1 की सूचना के संबंध में नियमानुसार 15 दिवस में निर्णय करे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर